दखल नामा

दि. 16/4/98

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बारां के आदेश क्रमांक | F4(5) राजस्व | 98 | 554-600 दिनांक 27/3/98 व आदेश श्रीमान् तहसीलदार सा० बारां की पालना में खा०नं० 137 रकबा 2.11 मैसे 1.05, खा०नं० 139 रकबा 0.82 मैसे 0.43 खा०नं० 217 रकबा 5.00 है० मैसे 4.40 है० एवं खा०नं० 364/617 रकबा 0.72 कुल रकबा 4 रकबा 6.00 है० भूमि पर आज दिनांक को प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय बारां को मौके पर दखल दिया गया।

हस्ताक्षर दखल देने वाले

Dated 16/4/98

16/4/98

हस्ताक्षर दखल लेने वाले

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय / K. V.
बारां (राज.) / BARAN (Raj.)

उपखण्ड अधिकारी

16.4.98



पट्टा अभिलेख(लीज डीड)

यह पट्टा अभिलेख(लीज-डीड) आज दिनांक चार सितम्बर ईस्वी सन् 1998 शुक्रवार को "राजस्थान भू-राजस्व(स्कूलों,कॉलेजों, चिकित्सालयों,धर्मशालाओं,एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवनों के निमार्णार्थ सफेद भूमि(बिना कब्जे की(सरकारी कृषि भूमि के आवंटन नियम 1963 के तहत राजस्थान के राज्यपाल जिसे आगे पट्टाकर्ता कहेंगे के प्रतिनिधि के रूप में एक पक्ष जिला कलक्टर बारां दूसरे पक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन,नई दिल्ली के प्रतिनिधि,संयुक्त आयुक्त के. वि. सं. नई दिल्ली के मध्य में अभिलिखित किया जा रहा है । इस विलेख के अनुसार प्रथम पक्ष पट्टाकर्ता तथा दूसरा पक्ष पट्टादार कहे जायेंगे । पट्टे का आधार विषय या सन्दर्भ का अपवर्जन न होना होगा ।

यह कि पट्टाकर्ता(प्रतिनिधि,राज्यपाल,राजस्थान सरकार,जिला कलक्टर द्वारा नीचे बतायी गई शर्तों पर पट्टेदार केन्द्रीय विद्यालय संगठन,नई दिल्ली को 99 वर्ष की अवधि के लिए,प्रसंगाधीन भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है । अतः यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है ।

1. यह कि इस करार के अनुसरण में पट्टाकर्ता एतद् द्वारा कथित भूमि दिनांक 4.9.98. से 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टेदार को पट्टे पर (लीज पर(प्रदान करता है ।
2. यह कि संदर्भित भूमि का आवंटन केन्द्रीय विद्यालय संगठन को,के. वि. द्वारा के लिए निःशुल्क हुआ है ।
3. यह कि इस भूमि पर बनने वाले भवन खेल-मैदान,उद्यान आदि के लिए कोई प्रिमियम या शहरी कन्वर्जन शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा । यह भूमि कर मुक्त रहेगी ।
4. यह कि भूमि का उपयोग सर्वथा उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटित की गयी है,और भवन-निर्माण की प्रक्रिया आवंटित भूमि का कब्जा देने के 1 वर्ष के अन्दर-अन्दर प्रारम्भ कर दी जावेगी,एवं अपेक्षित भवन-निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा ।
5. यह कि भूमि सरकार में निहित होगी ।
6. यह कि उक्त भूमि पर निर्मित भवन का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए किया जायेगा ।
7. भूमि का या उस पर निर्मित भवन का दुराशय या दुर्भावना पूर्ण आशय से आवंटिती/दानाग्राही प्रतिनिधि या किसी परिवार के सदस्य को हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा ।

------2/-

8. यह कि उपर्युक्त शर्तों के लिए आवंटिती§दूसरा पक्ष§ बाध्य होगा ।

9. यह कि दूसरे पक्ष की ओर से उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दिशा में उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित बिना किसी क्षतिपूर्ति के दावे के भूमि **वापस** सरकार में निहित हो जायेगी ।

इसके साक्ष्य में इसके दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने इस विलेख पर हस्ताक्षर किये हैं ।

आवंटित भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

ग्राम बमूलिया की भूमि खसरा नम्बर 137 की 1.05 है0,ख नं. 139 की 0.43 है0,ख नं. 217 की 4.40 है0 ख नं.364/617 की 0.12 है0 कुल समेकित 4 खसरों की रकबा 6 है0 किस्म चारागाह है जो कोटा रोड §स्टेट-हाईवे§ पर अवस्थित है ।

10.11.88

हस्ताक्षर----------

संयुक्त आयुक्त,के. वि. सं. ,नई दिल्ली
§आवंटिती§के. वि. सं. §के प्रतिनिधि

राज्यपाल,राजस्थान सरकार की ओर से
हस्ताक्षरित
द्वारा
जिला कलक्टर बारां

साक्षी-1 ----------
प्राचार्य,के. वि. बारां 4/9/98

2. ----------
UDC K.V. Baran

आज दिनांक 8 माह 1 सन 1998 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 60 में पृष्ठ संख्या 166 क्रम सं. 374 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं० 1 जिल्द सं० 65 पृष्ठ सं. 374 पर चस्पा किया गया ।

उप पंजीयक
बारां (राज.)

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-3)विभाग

क्रमांक: प.6(307)राज./ग्रुप-3/97 जयपुर, दिनांक : 16/3/98

जिला कलक्टर
बांरा ।

विषय:- केन्द्रीय विद्यालय बांरा को भूमि आवंटन बाबत ।
सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक प.4(5)(18)0(राज./97/136 दि. 8.1.98 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार आपके प्रस्तावानुसार ग्राम बम्बूलिया के ख.नं. 137 रकबा 2.11 हैक्टर किस्म चारागाह में से 1.05 हैक्टर, ख.नं. 139 रकबा 0.82 हैक्टर किस्म चारागाह में से 0.43 हैक्टर, ख.नं. 217 रकबा 5.00 हैक्टर किस्म चारागाह में से 4.46 हैक्टर एवं ख.नं. 364/617 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म चारागाह कुल मिला 4 रकबा 6 हैक्टर भूमि चारागाह से खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के तहत केन्द्रीय विद्यालय, बांरा को विद्यालय भवन निर्माण, आवास एवं खेल मैदान हेतु निशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है । साथ ही इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 3.10.97 द्वारा जारी स्वीकृति निरस्त की जाती है ।

भवदीय

(भागीरथ राम बाजिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

केन्द्रीय विद्यालय

कोटा रोड़, बारां
पिन–325205 (राजस्थान)
दूरभाष न. 07453–237069

Kendriya Vidyalaya

Kota Road Baran (Raj.)
Pin-325205
Fax : 07453-237068
website: www.kvbaran.org.in
email : kvbaran@gmail.com

फा.सं. के.वि.बां./ /2016–17/ दिनांक 17.12.2016

सेवा में,

उपायुक्त महोदय,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (आगरा संभाग),
आगरा छावनी, आगरा।

विषयः Uploading of data with regard to Government Land on web portal created for the purpose of "Centralized Data Bank of inventory of all Government land including that belonging to Government controlled statutory Authorities & PSUs-reg.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके पत्रांक F.30054/2016-KVS AGRA/, dt.16.12.2016 के संदर्भ में उपरोक्त वांछित जानकारी निम्नानुसार हैः –

1. आवंटित भूमि का नक्शा (राजस्व विभाग द्वारा जारी)– भूमि के नक्शे की प्रतिलिपि संलग्न हैं।
2. क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर में (हेक्टेयर/एकड/वर्गगज अथवा बीघा में नहीं)– 60000 वर्ग मीटर।
3. उक्त भूमि लीज डीड पर है अथवा स्थायी रूप से हस्तांतरित की गई है– लीज डीड पर (99 वर्षों के लिए, दिनांक 04.09.1998 से)

उपरोक्त आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद!

भवदीय

(आर.एस. सारंग)
प्राचार्य (अतिरिक्त प्रभार)
के.वि. बारां

संलग्नः यथोपरि।

